लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
066/2022 (GCMS 2022/328)	14.09.2022	11.10.2022

अनवान

तरूण अग्रवाल निवासी 332/31, पटेल नगर, तोपदड़ा, जिला अजमेर
अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़
रेस्पोर्डेट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.08.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./066/2022(सू.अ.)(04.10.2022)/748 दिनांक 14.09.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 04.10.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 04.10.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/836 दिनांक 23.09.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार हैं–

1. यह कि प्रार्थी तरूण अग्रवाल निवासी 332/31, पटेल नगर, तोपदड़ा, जिला अजमेर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 23.08.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो इस कार्यालय में दिनांक 26.08.2022 को प्राप्त होना सही हैं।

2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक हैं एवं प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना सृजनात्मक प्रकृति की हैं, जो कि इस अधिनियम के क्षैत्राधिकार में नहीं आती हैं।

3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/322 दिनांक 29.08.2022 से प्रार्थी को अवगत कराया गया हैं।

4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिए जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं।

5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करवाने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/836 दिनांक 23.09.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् यह व्यवस्था की गई है कि अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद हैं। प्रार्थी के आवेदन से वांछित सूचना के तथ्य प्रश्नात्मक होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/322 दिनांक 29.08.2022 से प्रार्थी को इस संबंध में अवगत कराते हुए उसके आवेदन को निस्तारित किया गया। साथ ही रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किये जाने पर भी अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं आए, जिसके कारण अपीलार्थी की ओर से कोई भी जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>11.10.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official